राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	828/2016 चौथमल बनाम रामप्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/10/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 31/10/2025 को पेश हो।	
31/10/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर रेस्पो. संख्या 1 की एकपक्षीय बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 11/07/2011 पारित करते हुये अपीलार्थी को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 2016 (न्याय आपके द्वार) कैम्प कोर्ट में नियत कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/07/2016 पारित करते हुये उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक इस आशय का पाबन्द किया कि विवादित आराजीयात स्थित वाके ग्राम सांगानेर, तहसील-सांगानेर, जिला जयपुर की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखी जावे। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से प्रथमदृष्टया यह जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. के पूर्वहक़अधिकारीयो की संयुक्त खाते की भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है एवं मूल वाद घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती का है, जिसका साक्ष्य-सबूत के आधार पर निस्तारण होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजी का अन्यत्र हस्तान्तरण होता है अथवा उसे कृषि से अकृषि में तब्दील कर दिया जाता है तो प्रकरण में अनावश्यक नवीन विवाद उत्पन्न होकर जटिलता उत्पन्न होगी तथा प्रार्थीगण/रेस्पो. को अपूर्तनीय क्षति कारित होना भी सम्भव है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादगस्त भूमि की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमे इस अपील के माध्यम से कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	चौथमल बनाम रामप्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15/07/2016 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थीगण ख़ारिज की जाती है|

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 31/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया|

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर